



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032024-252549
CG-DL-E-01032024-252549

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 955]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2024/फाल्गुन 11, 1945

No. 955]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2024/PHALGUNA 11, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2024

का.आ. 1000(अ).—केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड(46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक अर्बन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड, (पैन:-AAATK5837F), कर्नाटक अर्बन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड अधिनियम, 1973 (कर्नाटक अधिनियम, 1974 का 25) के तहत गठित एक बोर्ड, उस बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- कर्नाटक अर्बन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड अधिनियम, 1973 (कर्नाटक अधिनियम, 1974 का 25) के तहत स्थापना, प्रशासनिक, पर्यवेक्षण, जल शुल्क तथा संग्रहित किराया;
- कर्नाटक अर्बन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड अधिनियम, 1973 (कर्नाटक अधिनियम, 1974 का 25) के अनुसार बयाना जमा राशि की जव्ती;
- कर्नाटक अर्बन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड अधिनियम, 1973 (कर्नाटक अधिनियम, 1974 का 25) के अनुसार शास्ति, स्क्रेप की बिक्री, भंडारण प्रभार तथा सर्वेक्षण प्रभार; तथा
- बैंक जमा पर अर्जित व्याज।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रभावी होगी कि कर्नाटक अर्बन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड:-

- किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिप्त नहीं होगा;

- (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलापों तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी फाइल करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2021-2022, 2022-2023 तथा 2023-2024 के लिए लागू की गई मानी जाएगी तथा क्रमशः वित्तीय वर्षों 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 26/2024/फा.सं. 300196/12/2019-आईटीए-I]

कास्त्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।